[2018] 5 एस.सी.आर. 686

केरल राज्य और अन्य।

बनाम

मैथ्रि विद्या भवन इंग्लिश एम. एस.सी.एच. एवं ओ.आर.एस.

(विशेष अनुमति याचिका (सी) क्रमांक 18475-18476 वर्ष 2013)

मई 02, 2018

[मदन बी. लोकुर और दीपक गुप्ता, जे.जे.]

शिक्षा/शैक्षिक संस्थान:

केरल शिक्षा नियम, 1959: सीबीएसई के साथ स्कूलों की संबद्धता - सीबीएसई संबद्धता के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) - दिनांक 10.06.2011 को जीओ द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश - दिशानिर्देश (iv) और (xiv) के लिए न्यूनतम 3 एकड़ भूमि और न्यूनतम 300 नामांकित छात्र की आवश्यकता है - चुनौती - आयोजित: महानगरीय और राजधानी शहरों के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्रों में, 3 एकड़ भूमि या यहां तक कि 2 एकड़ भूमि प्राप्त करना मुश्किल होगा - इस प्रकार, दिशानिर्देश (iv) सीबीएसई के संबद्धता उपनियमों के अनुसार संबद्धता प्राप्त करने के लिए एनओसी प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 3 एकड़ भूमि की आवश्यकता मनमाना है - 300 छात्रों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या सीबीएसई संबद्धता उपनियम के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। कानून - सीबीएसई से संबद्धता के लिए एनओसी चाहने वाले स्कूल में न्यूनतम 300 छात्रों के निर्धारण को उचित ठहराने वाली रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री के अभाव में, उक्त आवश्यकता भी मनमानी है।

कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए

माना गया: 1.1 केरल शिक्षा नियम, 1959 के अध्याय IV में, यह प्रावधान किया गया है कि निम्न प्राथमिक अनुभाग (जो कि मानक V और VI तक है और इसमें शामिल है) के साथ या उसके बिना उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए, भूमि की आवश्यकता (जैसा कि सूचित किया गया है) 1.2 से 2 हेक्टेयर (3 से 5 एकड़) है; माध्यमिक विद्यालयों के

लिए भूमि की आवश्यकता 1.2 से 2 हेक्टेयर (3 से 5 एकड़) है और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए भूमि की आवश्यकता 1.2 हेक्टेयर (3 एकड़) है। अत: न्यूनतम आवश्यकता 3 एकड़ भूमि की है। हालाँकि, केईआर का प्रावधान है कि प्रत्येक स्कूल में सामान्य रूप से न्यूनतम साइट क्षेत्र होना चाहिए। [पैरा 15]

1.2 सीबीएसई संबद्धता उपनियमों के तहत, न्यूनतम भूमि की आवश्यकता स्थान-दर-स्थान भिन्न होती है। संबद्धता के लिए सीबीएसई में आवेदन करने के लिए किसी शैक्षणिक संस्थान के लिए आम तौर पर आवश्यकता यह है कि स्कूल के पास 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। 25 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने और सीबीएसई की संतुष्टि के अनुसार खेल आयोजित करने के लिए पर्याप्त भवन और अन्य संस्थान के साथ भूमि 1 एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि 1 एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए तथा पर्वतीय क्षेत्रों के निर्धारण हेतु योजना आयोग द्वारा निर्धारित मानक लागू होंगे। [पैरा 16]

1.3 इसी प्रकार, राजधानी शहरों, द्वीपों, उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर की नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित स्कूलों में न्यूनतम भूमि की आवश्यकता 1 एकड़ होगी। सीबीएसई ने स्कूल के स्थान के आधार पर लचीलेपन की एक डिग्री पेश की है। दुर्भाग्य से, केरल ने ऐसी कोई लचीलापन प्रदान करने के बारे में सोचा भी नहीं है। केरल की कठोर आवश्यकता यह दर्शाती है कि यह उन स्कूलों पर थोपा गया है जो सीबीएसई से संबद्धता चाहते हैं, ताकि उन पर अनावश्यक रूप से एक कठिन और मनमानी शर्त का बोझ डाला जा सके, क्योंकि केरल का मानना है कि उसके पास ऐसा करने का अधिकार है। [पैरा 17]

1.4 केरल राज्य को राज्य सरकार द्वारा संचालित या राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या राज्य बोर्ड से संबद्ध ऐसे स्कूलों की संख्या सूचित करने के लिए कहा गया था जो 7.10.2011 के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं। जवाब में, केरल ने इस आशय का एक स्पष्ट हलफनामा दायर किया कि चूंकि दिशानिर्देश ऐसे स्कूलों पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे स्कूलों पर उनका अनुपालन करने की कोई बाध्यता नहीं है। राज्य सरकार द्वारा संचालित या राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या राज्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के अलावा अन्य स्कूलों द्वारा आवेदन के लिए केरल द्वारा दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। केरल द्वारा किए गए इस भेदभाव का कोई कारण नहीं बताया गया है, जो पूरी तरह से मनमाना प्रतीत होता है। [पैरा 18]

1.5 एनओसी देने के लिए न्यूनतम 3 एकड़ भूमि की आवश्यकता का कोई तर्कसंगत आधार नहीं था। यहां तक कि एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में भी केरल की ओर से कहा गया है कि सीबीएसई स्कूलों की तेजी से हो रही वृद्धि को रोकने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे राज्य में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली प्रभावित होगी। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई विवरण नहीं दिया गया है। लेकिन तथ्य यह है कि सीबीएसई स्कूलों की बेतहाशा वृद्धि इस बात का संकेत है कि केरल में राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में कुछ हद तक वांछित है। [पैरा 19]

1.6 न्यायिक नोटिस इस तथ्य पर है कि महानगरीय और राजधानी शहरों के साथ-साथ पहाड़ी इलाकों में 3 एकड़ जमीन या 2 एकड़ जमीन भी प्राप्त करना मुश्किल होगा। इसी प्रकार, इलाके के कारण देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में भी पर्याप्त भूमि प्राप्त करना शायद मुश्किल होगा। इस यथार्थवाद की तुलना केरल की गैर-यथार्थवादी अनम्यता से की जानी चाहिए, जिसमें कुछ पहाड़ी क्षेत्र भी हैं जहां शायद 3 एकड़ जमीन ढूंढना मुश्किल हो सकता है। व्यावहारिकता की कमी और मनमानी कठोरता के कारण उच्च न्यायालय के साथ-साथ यह न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दिशानिर्देश (iv) के अनुसार संबद्धता प्राप्त करने के लिए एनओसी प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 3 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। सीबीएसई के संबद्धता उपनियम मनमाने हैं और उच्च न्यायालय ने इसे उचित रूप से रद्द कर दिया है। [पैरा 20]

2.1 उच्च न्यायालय ने माना कि संबद्धता के प्रगतिशील चरणों का एक तर्कसंगत आधार है, जबकि एनओसी प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 300 छात्रों के नुस्खे का ऐसा कोई आधार नहीं है। [पैरा 24]

2.2 बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात 30:1 की आवश्यकता है। एक कक्षा में 30 बच्चों वाले और एक डिवीजन वाले स्कूल में कक्षा VI तक और इसमें शामिल होकर केवल 180 छात्र होंगे। इसलिए, ऐसा स्कूल माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए अनंतिम संबद्धता प्राप्त नहीं कर सकता है। दरअसल, ऐसा स्कूल मानक X तक संबद्धता के लिए पात्र नहीं होगा, जब उसमें 300 छात्र हों - और वह उस स्तर तक कभी नहीं पहुंच सकता क्योंकि

मानक IX और X केवल तभी शुरू किए जा सकते हैं, जब स्कूल के पास CBSE संबद्धता हो। इसलिए, केरल ऐसे स्कूलों से असंभवता की उम्मीद कर रहा है जो आरटीई अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करते हैं। [पैरा 25]

2.3 केईआर के तहत निचले प्राथमिक/उच्च प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में प्रति मानक न्यूनतम प्रभावी संख्या 25 छात्र है (अब यह बढ़कर 30 छात्र हो जाएगी)। यह केवल सीबीएसई संबद्धता चाहने वाले स्कूलों के लिए है कि छात्रों की संख्या 300 से कम नहीं होनी चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि छात्रों की संख्या 300 से कम है, तो इससे प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आएगी। छात्र. दूसरे शब्दों में, 300 छात्रों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता केरल द्वारा निकाला गया एक पूरी तरह से मनमाना आंकड़ा है और जिसका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या सीबीएसई संबद्धता उपनियमों के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। [पैरा 26]

2.4 राज्य के अनुसार, यदि किसी स्कूल में न्यूनतम 300 छात्र नहीं हैं, तो उस स्कूल के लिए अत्यधिक शुल्क वसूलने के अलावा कर्मचारियों और शिक्षकों के आवश्यक वेतन का भुगतान करना मुश्किल होगा। इस तरह के निष्कर्ष को प्रमाणित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है और यह केवल राज्य के आईपीएस दीक्षित पर आधारित है। सीबीएसई से संबद्धता के लिए एनओसी मांगने वाले स्कूल में न्यूनतम 300 छात्रों के निर्धारण को उचित ठहराने वाली रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री की अनुपस्थिति में, आवश्यकता मनमानी है। [पैरा 27]

क्वीन मैरी पब्लिक स्कूल बनाम केरल राज्य **(2007) 4 केएलटी 706 - संदर्भित।**

<u>केस कानून संदर्भ</u>

(2007) 4 केएलटी 706	**पैरा 22**	**को संदर्भित किया गया**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2013 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 18475-18476।

एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.09.2012 से क्रमशः 2012 की डब्ल्यूए संख्या 1042 और 2011 की डब्ल्यूपीसी संख्या 32928

साथ

2014 की एसएलपी (सी) संख्या 4531-4532 और 4530

एसएलपी(सी) नंबर 23142-23146, 23138-23140, 29655-29658,

2013 का 29781-29783, 29560-29561, 33438-33439, 29660-29662

2014 की एसएलपी (सी) संख्या 83-86

2013 की एसएलपी (सी) संख्या 31934-31936

2014 की एसएलपी (सी) संख्या 79-80

2013 की एसएलपी (सी) संख्या 39339 और 37208

2014 की एसएलपी (सी) संख्या 76-77, 81, 82 और 4534-4536।

अमन लेखी, एएसजी, जयदीप गुप्ता, जयंत भूषण, किलाशनाथ पिल्लई, वी. गिरी, वरिष्ठ वकील, सी.के. ससी, सुश्री नयनतारा रॉय, मनुकृष्णन जी., साजिथ पी., प्रशांत पी. आर. जयकृष्णन, तारा चंद्र शर्मा, सुश्री नीलम शर्मा, सुश्री पंखुड़ी श्रीवास्तव, श्रीमती वी.एस. लक्ष्मी, ए. वेनायगम बालन, राजीव शर्मा, डी.एन. गोबरधुन, विभु शंकर मिश्रा, दीपक गोयल, गुरुमीत सिंह मक्कड़, कुलदीप चौहान, राजेश मिश्रा, साजिथ पी. वारियर, जोस अब्राहम, एम. पी. श्रीविग्नेश , बी. मैथ्यूज, सारा शाजी, ई.एम.एस. अनम, विजय कुमार, चंदन कुमार मंडल, रोमी चाको, नवीन आर. नाथ, अभिमन्यु वर्मा, जयंत मुतराज, मोहम्मद सादिक टी. ए., अब्राहम, अनु के. जॉय, अलीम अनवर, निशे राजेन शोंकर, रंजीत बी., सुश्री लक्ष्मी एन. कैमल, अनुभव आनंद पांडे, कृष्णदास विलादथ, के. राजीव, ए. रघुनाथ, सी.के. ससी, राघेंथ बसंत, सुश्री आंचल टिकमानी, मिथुन वर्गीस, बादुशा सुलेमान, सेंथिल जगदीसन, रंजीत के.सी., पी.वी. दिनेश, सिंधु टी.पी., बिनीश के., आरुषि सिंह और राजेंद्र बेनीवाल, सलाहकार। उपस्थित पक्षों के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

मदन बी. लोकुर, जे.

1. 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा को दर्शाता है, न कि केवल शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा। ऐसी शिक्षा का विनियमन कानून द्वारा अनुमत है न कि कार्यकारी आदेश

द्वारा। दुर्भाग्य से, याचिकाओं के इस समूह में, केरल राज्य स्पष्ट रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों पर अपना अधिकार थोपना चाहता है, जिसे राज्य में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के लिए खतरा माना जाता है।

2. याचिकाओं के इस समूह में केरल राज्य द्वारा चुनौती केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित 14 सितंबर, 2012 के फैसले और आदेश को दी गई है। हमारी राय में ये सभी याचिकाएं खारिज किये जाने लायक हैं.

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

3. इन याचिकाओं तक पहुंचने वाले इतिहास (जो मुकदमेबाजी से भरा हुआ है - जैसे कि स्कूलों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है) के बारे में विस्तार से जाने बिना, यह कहने की जरूरत है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा स्कूलों की संबद्धता (सीबीएसई) अपने संबद्धता उपनियमों द्वारा शासित होता है। उपनियमों का खंड 3(i) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा औपचारिक पूर्व मान्यता को अनिवार्य करता है। इसके अतिरिक्त, संबद्धता के लिए आवेदन राज्य सरकार द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए या इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) होना चाहिए कि राज्य सरकार को सीबीएसई के साथ स्कूल की संबद्धता पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. जाहिर तौर पर इसे ध्यान में रखते हुए, केरल राज्य ने 13 जून, 2007 को कुछ दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें राज्य के 5 उत्तरी जिलों तक एनओसी देने के लिए आवेदनों पर विचार करना सीमित कर दिया गया। सरकारी आदेश (जी.ओ.) को कुछ स्कूलों के प्रबंधन ने चुनौती दी थी और इसे उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।

5. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ, अपील की विशेष अनुमति के लिए केरल द्वारा याचिकाएं दायर की गईं, जिन पर 18 जुलाई, 2011 को विचार किया गया। उस समय तक, केरल 10 जून, 2011 को एक नई नीति लेकर आया था। जिससे याचिकाएं निरर्थक हो गईं। इस न्यायालय द्वारा 18 जुलाई, 2011 को पारित आदेश का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

> “विलंब क्षमा किया गया।
>
> राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए ये एसएलपी दायर की है, जिसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (संक्षेप में 'सीबीएसई') से संबद्धता

प्राप्त करने के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' देने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा दायर आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया गया है। संस्थान/मौजूदा संस्थान। राज्य सरकार ने पहले राज्य सरकार की तत्कालीन लागू नीति के संदर्भ में अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

आज जब मामला सामने आया तो दोनों पक्षों ने कहा कि राज्य सरकार ने अब जी.ओ.(एमएस) नं.137/2011/जी.एड में निहित एक नई नीति बनाई है। दिनांक 10.6.2011 जो इस प्रकार है:

“सरकार उन स्कूलों को सीबीएसई/आईसीएसई संबद्धता प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की मंजूरी देकर प्रसन्न है, जो सीबीएसई/आईसीएसई द्वारा निर्धारित मानदंडों और शर्तों को पूरी तरह से पूरा करते हैं और जिनके पास अपनी जमीन और बुनियादी सुविधाएं हैं। विभाग द्वारा उचित समय पर आगे के दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।"

उक्त नीति के मद्देनजर, यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा ये एसएलपी निरर्थक हो गए हैं क्योंकि राज्य सरकार को उक्त नई नीति दिनांक 10.6.2011 के संदर्भ में उत्तरदाताओं के आवेदनों पर विचार करना होगा और तीन के भीतर उचित आदेश पारित करना होगा। आज से महीनों बाद.

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि प्रतिवादी-आवेदक इस तरह के विचार पर पारित किसी भी आदेश से व्यथित हैं, तो वे कानून के अनुसार इसे चुनौती देने के हकदार होंगे। .....”

6. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 10 जून, 2011 के जी.ओ. की अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि आगे के दिशानिर्देश संबंधित विभाग द्वारा उचित समय पर जारी किए जाएंगे।

7. 10 जून, 2011 के जी.ओ. द्वारा निर्धारित ये आगे के दिशानिर्देश 7 अक्टूबर, 2011 को जारी किए गए। ये (नए) दिशानिर्देश पूरक नहीं थे, बल्कि दिशानिर्देशों का एक पूरी तरह से अतिरिक्त सेट था जो एनओसी के अनुदान के लिए मानदंड निर्धारित करता था। सीबीएसई से संबद्धता के लिए नए स्कूलों और सीबीएसई संबद्धता उपनियमों के तहत

संबद्धता के नवीनीकरण के लिए मौजूदा स्कूलों के लिए। स्कूलों के विद्वान वकील के अनुसार, यह काफी अप्रत्याशित और अनावश्यक था।

8. जो भी हो, कई स्कूलों के प्रबंधन ने कुछ दिशानिर्देशों पर आपत्ति जताई। आपत्तियाँ निम्नलिखित दिशानिर्देशों पर थीं:

> "iv. संस्था के पास न्यूनतम 3 एकड़ भूमि होनी चाहिए, जिसमें से कम से कम 2 एकड़ भूमि वास्तविक स्थान पर होनी चाहिए जहां स्कूल सन्निहित तरीके से कार्य कर रहा हो। इसमें पर्याप्त खेल का मैदान भी होना चाहिए। वहाँ एक पुस्तकालय और पर्याप्त संख्या में प्रयोगशालाएँ होनी चाहिए।
>
> vi. शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। हालाँकि, मलयालम को अनिवार्य रूप से एक निर्धारित पाठ्य पुस्तक और समय-समय पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार उचित शैक्षणिक मूल्यांकन के साथ एक पेपर के रूप में पढ़ाया जाएगा।
>
> viii. स्कूल केवल योग्य और पात्र कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा और स्कूल के कर्मचारियों को वेतन और भत्ते और अन्य लाभ का भुगतान करना होगा। सीबीएसई/आईसीएसई स्कूल के कर्मचारियों को समकक्ष श्रेणियों के लिए सरकारी स्कूलों के समान वेतनमान की पेशकश की जाएगी। वेतन न्यूनतम वेतनमान से शुरू होगा और कर्मचारी डीए और वेतन वृद्धि के पात्र होंगे जैसा कि सरकारी स्कूलों में समय-समय पर अनुमति दी जाती है।
>
> xiv. एनओसी के लिए आवेदन की तिथि पर स्कूल पांच साल की अवधि के लिए अस्तित्व में होना चाहिए और इसमें कम से कम 300 छात्र होने चाहिए। यूआईआईडी नामांकन पूरा किया जाना चाहिए और स्कूल में नामांकित छात्रों के यूआईआईडी नंबर प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

9. इन दिशानिर्देशों को कुछ स्कूलों द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 7 अक्टूबर, 2011 के जी.ओ. को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई की और 20 अप्रैल, 2012 को पारित एक अंतरिम आदेश द्वारा दिशानिर्देश (iv) और (xiv) के संचालन पर रोक लगा दी।

10. केरल ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट अपील दायर की और विद्वान वकील को सुनने के बाद, डिवीजन बेंच का विचार था कि रिट अपील में निर्णय विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष सभी लंबित रिट याचिकाओं को निष्फल कर देगा। इसलिए, मुकदमे के सभी पक्षों की सहमति से, यह निर्णय लिया गया कि सभी रिट याचिकाओं और रिट अपील की सुनवाई डिवीजन बेंच द्वारा की जानी चाहिए ताकि विवाद को कुछ हद तक अंतिम रूप दिया जा सके।

11. 14 सितंबर, 2012 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने 7 अक्टूबर, 2011 के दिशानिर्देशों के खंड (iv) और (xiv) को रद्द कर दिया और इन्हीं परिस्थितियों में केरल द्वारा वर्तमान याचिकाएँ दायर की गई हैं। और विचारार्थ लिया गया।

12. शुरुआत में, हम ध्यान दे सकते हैं कि हालाँकि शुरू में चार दिशानिर्देश विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती के अधीन थे, लेकिन हमारे सामने स्कूल प्रबंधन के विद्वान वकील ने कहा था कि वे दिशानिर्देश (vi) और (viii) को चुनौती नहीं देते हैं। . इसलिए, हम केवल संबद्धता चाहने वाले स्कूल से संबंधित दिशानिर्देशों (iv) और (xiv) से चिंतित हैं, जिसके लिए न्यूनतम 3 एकड़ भूमि और न्यूनतम 300 नामांकित छात्रों की आवश्यकता होती है।

न्यूनतम 3 एकड़ भूमि की आवश्यकता

13. केरल के अनुसार, सीबीएसई से संबद्धता के लिए एनओसी चाहने वाले स्कूल के पास 3 एकड़ जमीन होनी चाहिए, जिसमें से 2 एकड़ जमीन स्कूल के साथ-साथ और वास्तविक स्थान पर होनी चाहिए। हमें बोर्ड भर के सभी स्कूलों पर लागू होने वाले इस शासनादेश का कोई आधार नहीं दिखाया गया है।

14. दूसरी ओर, ऐसा प्रतीत होता है कि सीबीएसई ने संबद्धता उपनियम तैयार करने और उनके स्थान के आधार पर स्कूलों की आवश्यकताओं का यथार्थवादी मूल्यांकन करने के लिए अपना होमवर्क कर लिया है।

15. केरल शिक्षा नियम, 1959 (संक्षिप्त 'केईआर' के लिए) के अध्याय IV में, हमें केरल के विद्वान वकील द्वारा सूचित किया गया है कि यह प्रदान किया गया है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय निम्न प्राथमिक अनुभाग के साथ या उसके बिना (अर्थात इसमें शामिल हैं) मानक V और VI), भूमि की आवश्यकता (जैसा कि सूचित किया गया है) 1.2 से 2

हेक्टेयर (3 से 5 एकड़) है; माध्यमिक विद्यालयों के लिए भूमि की आवश्यकता 1.2 से 2 हेक्टेयर (3 से 5 एकड़) है और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए भूमि की आवश्यकता 1.2 हेक्टेयर (3 एकड़) है। अतः न्यूनतम आवश्यकता 3 एकड़ भूमि की है। हालाँकि, केईआर यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक स्कूल में सामान्यतः न्यूनतम साइट क्षेत्र होना चाहिए जैसा कि ऊपर बताया गया है।

16. इसकी तुलना सीबीएसई संबद्धता उपनियमों से करें। इन उपनियमों के तहत, न्यूनतम भूमि की आवश्यकता स्थान-दर-स्थान भिन्न-भिन्न होती है। संबद्धता के लिए सीबीएसई में आवेदन करने के लिए किसी शैक्षणिक संस्थान के लिए आम तौर पर आवश्यकता यह है कि स्कूल के पास 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए, 25 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने और सीबीएसई की संतुष्टि के अनुसार खेल आयोजित करने के लिए अन्य संस्था/संगठन के साथ पर्याप्त भवन और व्यवस्था के साथ भूमि 1 एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि 1 एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए तथा पर्वतीय क्षेत्रों के निर्धारण हेतु योजना आयोग द्वारा निर्धारित मानक लागू होंगे।

17. इसी प्रकार, राजधानी शहरों, द्वीपों, उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर की नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित स्कूलों में न्यूनतम भूमि की आवश्यकता 1 एकड़ होगी। दूसरे शब्दों में, सीबीएसई ने स्कूल के स्थान के आधार पर लचीलेपन की एक डिग्री पेश की है। दुर्भाग्य से, केरल ने ऐसी कोई लचीलापन प्रदान करने के बारे में सोचा भी नहीं है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि केरल की कठोर आवश्यकता यह दर्शाती है कि यह उन स्कूलों पर थोपा गया है जो सीबीएसई से संबद्धता चाहते हैं, ताकि उन पर अनावश्यक रूप से एक कठिन और मनमानी शर्त का बोझ डाला जा सके, क्योंकि केरल का मानना है कि उसके पास ऐसा करने का अधिकार है।

18. इस सब को ध्यान में रखते हुए, हमने 6 दिसंबर, 2016 के एक आदेश द्वारा केरल से कहा था कि वह हमें राज्य सरकार द्वारा संचालित या राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या राज्य बोर्ड से संबद्ध ऐसे स्कूलों की संख्या बताए जो इसका अनुपालन नहीं करते हैं। 7 अक्टूबर, 2011 के दिशानिर्देश। जवाब में, केरल ने इस आशय का एक स्पष्ट हलफनामा दायर किया कि चूंकि दिशानिर्देश ऐसे स्कूलों पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे स्कूलों पर उनका अनुपालन करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। यह उल्लेखनीय है - राज्य

सरकार द्वारा संचालित या राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या राज्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के अलावा अन्य स्कूलों द्वारा आवेदन के लिए केरल द्वारा दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। केरल द्वारा किए गए इस भेदभाव का कोई कारण नहीं बताया गया है, जो पूरी तरह से मनमाना प्रतीत होता है।

19. केरल की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि फिर भी राज्य सरकार एनओसी के अनुदान के लिए न्यूनतम 3 एकड़ भूमि प्रदान करने के अपने अधिकारों और अधिकार के तहत थी। हालाँकि ऐसा हो सकता है, आवश्यकता का कोई तर्कसंगत आधार होना चाहिए लेकिन हम ऐसा कोई तर्कसंगत आधार खोजने में असमर्थ हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में भी केरल द्वारा कहा गया है कि सीबीएसई स्कूलों पर उनके बढ़ते विकास को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं जो राज्य में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करेंगे। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई विवरण नहीं दिया गया है। लेकिन तथ्य यह है कि सीबीएसई स्कूलों की बेतहाशा वृद्धि इस बात का संकेत है कि केरल में राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में कुछ हद तक वांछित है। केरल द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से राज्य के बच्चों को क्या लाभ होता है?

20. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सीबीएसई ने अपना होमवर्क अच्छी तरह से किया है और भूमि की आवश्यकता के बारे में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। हम इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान ले सकते हैं कि महानगरों और राजधानियों के साथ-साथ पहाड़ी इलाकों में 3 एकड़ जमीन या 2 एकड़ जमीन भी पाना मुश्किल होगा। इसी प्रकार, इलाके के कारण देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में भी पर्याप्त भूमि प्राप्त करना शायद मुश्किल होगा। इस यथार्थवाद की तुलना केरल की गैर-यथार्थवादी अनम्यता से की जानी चाहिए, जिसमें कुछ पहाड़ी क्षेत्र भी हैं जहां शायद 3 एकड़ जमीन ढूंढना मुश्किल हो सकता है। व्यावहारिकता की कमी और मनमानी कठोरता के कारण ही उच्च न्यायालय के साथ-साथ हम भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दिशानिर्देश (iv) के अनुसार संबद्धता प्राप्त करने के लिए एनओसी प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 3 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। सीबीएसई के संबद्धता उपनियम मनमाने हैं और उच्च न्यायालय ने इसे उचित रूप से रद्द कर दिया है।

300 छात्रों का न्यूनतम नामांकन

21. दूसरी चुनौती दिशानिर्देश (xiv) के संदर्भ में सीबीएसई से संबद्धता चाहने वाले स्कूल में छात्रों की न्यूनतम संख्या 300 होने के संदर्भ में है।

22. इस स्तर पर, यह उल्लेख किया जा सकता है कि ***क्वीन मैरी पब्लिक स्कूल बनाम केरल राज्य1*** में उच्च न्यायालय ने माना था कि मानक I से मानक X तक स्कूल की संबद्धता के लिए 500 छात्रों की आवश्यकता सीबीएसई के विपरीत है। संबद्धता उपनियम तर्कसंगत या टिकाऊ नहीं है। इसके बावजूद, केरल ने एनओसी जारी करने के लिए छात्रों की संख्या कम से कम 300 करने पर जोर दिया है। चूंकि सीबीएसई संबद्धता उपनियमों के तहत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है - यह केवल केरल द्वारा स्कूल प्रबंधन पर एक अनुचित थोपना है।

23. सीबीएसई से संबद्धता का प्रश्न तभी उठेगा जब स्कूल कम से कम छठी कक्षा तक पहुंच जाएगा। इस संबंध में, संबद्धता उपनियमों के अध्याय III का खंड 15.1(ए) प्रासंगिक है और यह निम्नानुसार प्रदान करता है:

> "15.1.(ए) अध्याय-2 में दिए गए संबद्धता के मानदंडों को पूरा करने वाले स्कूल मध्य कक्षा के पाठ्यक्रम/माध्यमिक के लिए अनंतिम संबद्धता/उच्च माध्यमिक कक्षाओं के उन्नयन के लिए निर्धारित समय पर बोर्ड को 'ऑन-लाइन' आवेदन कर सकते हैं। उस वर्ष के 30 जून से पहले परिशिष्ट II में दिए गए निर्धारित शुल्क के साथ, जिस वर्ष जैसा भी मामला हो, कक्षा VI/IX/XI शुरू करने का प्रस्ताव है। 'ऑनलाइन' आवेदन जमा करने के लिए आवेदन पत्र, प्रक्रियात्मक विवरण और संबद्धता उपनियम बोर्ड की वेबसाइट www.cbse.nic.in पर उपलब्ध हैं। डाक या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
>
> सीबीएसई द्वारा हर साल 30 जून को या उससे पहले प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों को छह महीने की अवधि के भीतर एक साथ संसाधित किया जा सकता है। संबद्धता देने या अस्वीकार करने का आदेश आवेदकों को उस वर्ष 31 दिसंबर या उससे पहले सूचित किया जाएगा।

24. उच्च न्यायालय ने विचार किया कि संबद्धता के प्रगतिशील चरणों का एक तर्कसंगत आधार है, जबकि एनओसी प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 300 छात्रों के होने के नुस्खे का ऐसा कोई आधार नहीं है। फिर, हमें केरल द्वारा उच्च न्यायालय में दायर जवाबी

हलफनामे में इस आवश्यकता का कोई कारण नहीं मिला, सिवाय इसके कि उसके पास इस तरह के नुस्खे बनाने का अधिकार है।

25. इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया उदाहरण उचित है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई अधिनियम) के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात 30:1 की आवश्यकता है। एक कक्षा में 30 बच्चों वाले और एक डिवीजन वाले स्कूल में कक्षा VI तक और इसमें शामिल होकर केवल 180 छात्र होंगे। इसलिए, ऐसा स्कूल माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए अनंतिम संबद्धता प्राप्त नहीं कर सकता है। दरअसल, ऐसा स्कूल दसवीं कक्षा तक संबद्धता के लिए पात्र नहीं होगा जब उसमें 300 छात्र हों - और वह उस स्तर तक कभी नहीं पहुंच सकता क्योंकि मानक IX और X तभी शुरू किए जा सकते हैं जब स्कूल के पास सीबीएसई मान्यता हो। इसलिए, केरल ऐसे स्कूलों से असंभवता की उम्मीद कर रहा है जो आरटीई अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करते हैं।

26. दूसरी ओर, केईआर के तहत निम्न प्राथमिक/उच्च प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में प्रति मानक न्यूनतम प्रभावी संख्या 25 छात्र है (अब यह बढ़कर 30 छात्र हो जाएगी)। केवल सीबीएसई संबद्धता चाहने वाले स्कूलों के लिए यह निर्धारित है कि छात्रों की संख्या 300 से कम नहीं होनी चाहिए। हम यह नहीं देखते हैं कि, यदि छात्रों की संख्या 300 से कम है, तो यह प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करेगा। विद्यार्थी। दूसरे शब्दों में, 300 छात्रों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता केरल द्वारा निकाला गया एक पूरी तरह से मनमाना आंकड़ा है और जिसका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या सीबीएसई संबद्धता उपनियमों के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है।

27. केरल के विद्वान वकील के अनुसार, यदि किसी स्कूल में न्यूनतम 300 छात्र नहीं हैं, तो उस स्कूल के लिए अत्यधिक फीस वसूलने के अलावा कर्मचारियों और शिक्षकों के आवश्यक वेतन का भुगतान करना मुश्किल होगा। इस तरह के निष्कर्ष को प्रमाणित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है और यह केवल राज्य के आईपीएस दीक्षित पर आधारित है। सीबीएसई से संबद्धता के लिए एनओसी मांगने वाले स्कूल में न्यूनतम 300 छात्रों के निर्धारण को उचित ठहराने वाली रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री के अभाव में, हमें आवश्यकता को मनमाना मानना चाहिए और हम ऐसा करते हैं।

28. स्कूलों के प्रबंधन द्वारा उठाया गया एक अन्य मुद्दा छात्रों के नामांकन के लिए अनिवार्य विशिष्ट पहचान (यूआईडी) के संबंध में है। हम इस मुद्दे को खुला छोड़ते हैं, जैसा कि विद्वान वकील ने सुझाव दिया है, इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले का इंतजार करने के लिए, जो वर्तमान में यूआईडी की आवश्यकता पर विचार कर रहा है।

29. उपरोक्त कारणों से, हमें इन याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं मिलती है, जिन्हें तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। अंतरिम आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

निधि जैन याचिका खारिज.

आशीष तिवारी की देखरेख में मानसी मिश्रा द्वारा अनुवादित।